फा.सं. 6/3/2018 ईओ (एमएम-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(स्थापना अधिकारी का कार्यालय)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 13 अप्रैल, 2018

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों के
   मुख्य सचिव,
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के
   सचिव,

विषयः गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) में निदेशक (वित्त) के पद को भरने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) में निदेशक (वित्त) के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने का प्रस्ताव है।

2. भारत सरकार के उप सचिव/निदेशक की रैंक के अथवा समतुल्य स्तर के और केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन नियुक्ति हेतु पात्र अधिकारी इस पद के लिए पात्र हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि उप सचिव/निदेशक के लिए क्रमशः 4/5 वर्ष की है।

3. इस पद को भारत सरकार में उप सचिव/निदेशक अथवा समतुल्य स्तर पर नियुक्त होने के लिए पात्र अधिकारियों के बीच प्राथमिकता के आधार पर परिचालित किया जाए। ऐसे इच्छुक और पात्र अधिकारियों के नाम, जिन्हें राज्य सरकारों/मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यमुक्त किया जा सकता है, संलग्न प्रपत्र में **संवर्ग निकासी, सतर्कता निकासी और विस्तृत जीवनवृत तथा अंतिम पांच वर्षों के गोपनीय रिपोर्ट डोजियर के साथ इस विभाग को अग्रेषित किए जाएं।** संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों के लिए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिनियुक्ति पर पिछली कार्य अवधि के पश्चात उपशमन अवधि (कूलिंग ऑफ) यदि कोई हो, पूरी हो गयी है तथा अधिकारी अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र है।

4. यह पद एक गैर-केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम का पद है जिसे सिविल सेवा बोर्ड (सीएसबी) प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाना है। यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त संदर्भित पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी को इस कार्यालय द्वारा सरकारी आवास के आवंटन/प्रतिधारण के लिए कोई 'अनिवार्य तैनाती प्रमाण पत्र' जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसे अधिकारी जिन्होंने कम से कम चार वर्षों से दिल्ली में केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम पद पर सेवा की है और वर्तमान में सेवारत हैं तथा जिन्हें सरकारी आवास को अपने पास बनाए रखने की आवश्यकता है, को इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है कि संबंधित अधिकारी ने सीएसएस पद में कम से कम चार वर्षों की सेवा की है और उसे गैर-सीएसएस पद पर अपने कार्यकाल के लिए सरकारी आवास को अपने पास बनाए रखने की आवश्यकता है।

5. यह अनुरोध है कि पात्र अधिकारी (अधिकारियों) के आवेदन (आवेदनों) को इस विभाग को दिनांक 18.05. 2018 तक अग्रेषित कर दिया जाए।

भवदीय

23/4/18

(जे.श्रीनिवासन)
निदेशक (एमएम)
दूरभाष: 23092842

प्रतिलिपि:

1. गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) [श्री बी.के.बिश्वास, अवर सचिव] 'सी विंग तीसरा तल' एनडीसीसी बिल्डिंग-II, जयसिंह रोड, नई दिल्ली 110001 को उनके दिनांक 10.03.2017 के का.ज्ञा.सं. 44-15/2008-एनडीएम-II (पार्ट) के संबंध में।
2. निदेशक (एमएम) के निजी सचिव को बल्क-ईमेल सिस्टम के माध्यम से अपलोड करने के लिए।

<u>जीवन-वृत्त</u>

1	नाम		
2	जन्म की तारीख		
3	सेवा		
4	बैच		
5	संपर्क दूरभाष सं. (कार्यालय) :	(निवास)	(मोबा.)
6	शैक्षिक योग्यताएं		
7	संपूर्ण अनुभव/तैनाती प्रोफाइल		

क्रम.सं.	अवधि	धारित पद/संगठन	संवर्ग पद/प्रतिनियुक्ति पद	तैनाती का स्थान	संक्षिप्त विवरण

8	क्या सतर्कता की दृष्टि से निर्दोष है?			हां/नहीं
9	क्या अधिकारी पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर रहा है, यदि हां, तो कृपया संगठन का ब्यौरा, प्रतिनियुक्ति की प्रकृति तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि (तारीख) बताएं।			
10	क्या अधिकारी को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति से विवर्णित किया गया है।			हां/नहीं

11. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सही और पूर्ण हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः--------------------

उपर्युक्त विवरण को प्रमाणित
करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर,
नाम/पदनाम एवं रबर स्टाम्प

टिप्पणीः

कॉलम सं. 1-7 आवेदक द्वारा भरे जाने हैं।

कॉलम सं. 8-11 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा भरे जाने हैं।